6

प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल में अभिभावकों की भूमिका

पद्मा यादव*

प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल को प्राय: जन्म से आठ वर्ष तक की आयु की शिक्षा व देखभाल के रूप में जाना जाता है। तीन से छह वर्ष की आयु के बीच के बच्चे पूर्व प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये शालाएँ बच्चों को प्रेरणादायक खेल वातावरण प्रदान करती हैं। बच्चों के विकास में अभिभावकों की अहम भूमिका होती है। अत: शिक्षकों तथा माता-पिता को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। प्रस्तुत लेख में प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल पर चर्चा करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं।

प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल को प्राय: जन्म से आठ वर्ष तक की आयु की शिक्षा व देखभाल के रूप में जाना जाता है। जन्म से तीन वर्ष की आयु के बीच बच्चा, घर पर परिवार के साथ रहता है या फिर वह क्रेश (वह केंद्र जहाँ घर के बाहर काम-काज पर जाने वाली माताएँ दिन के समय अपना बच्चा छोड़ती हैं।) में जाता है। तीन से छ: वर्ष की आयु के बीच के बच्चे पूर्व प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये शालाएँ बच्चों को प्रेरणादायक खेल वातावरण प्रदान करती हैं जिसमें बच्चों का बौद्धिक, भाषागत, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास होता है। साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करती है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है, बच्चों को पढ़ने-लिखने तथा गणित की तैयारी में मदद मिलती है। साथ ही बच्चों में कई अन्य क्षमताओं को विकसित करती है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल की आवश्यकता

इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि बच्चों के जीवन के प्रारंभ के 6 वर्ष उनके व्यक्तित्व विकास की अत्यंत नाज़ुक अवस्था है और इसका असर उनकी बाद की शिक्षा पर होता है। इन वर्षों में बच्चा जिस

* *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

गति से सीखता है, उस गति से आगे कभी नहीं सीखता। शोध परिणामों के आधार पर स्पष्ट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों की आगे की शिक्षा और जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक साबित होती है। जैसे — अन्य बच्चों के साथ समायोजन करना, एक निर्धारित कार्यक्रम का अनुसरण करना व एक निश्चित समय तक बैठकर एक गतिविधि में ध्यान केंद्रित करना आदि। इन क्षमताओं और कौशलों के विकास से विद्यालय के आरंभिक वर्षों मे शिशु को समायोजन में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की सूक्ष्म माँसपेशियों को विकसित करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक क्रियाएँ भी करवाई जाती हैं; जैसे — पेपर फोल्डिंग, पेंटिग, कागज़ फाड़ना, काटना, चिपकाना, मिट्टी से खेल-खिलौने बनाना इत्यादि। कक्षा के भीतर बच्चों को खेल-खिलौने, गुड़ियों आदि से खेलने के अवसर दिए जाते हैं तथा कक्षा के बाहर झूला-झूलने के अवसर होते हैं। इसके अलावा कहीं-कहीं रेत, टायर, ट्राली आदि से खेलने के भी भरपूर अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चे उत्साहित होते हैं तथा साथ ही उनका सामाजिक एवं शारीरिक विकास भी होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा को मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में स्वीकार किया है। प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा में समुदाय की सहभागिता पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2000 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना है और इसलिए बाल देखभाल और शिक्षा, शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2005 में कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर, जन्म से आठ साल तक की उम्र का समय, बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक होता है जब जीवनभर के विकास के आधार और समस्त संभावनाओं के द्वार खुलते हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार– 2009 में कहा गया है कि समुचित सरकार विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि "प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था देखदेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगा।"

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीई) – 2013, संरक्षित और अनुकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करती है। कहा गया है कि यह पूरे जीवन के विकास और शिक्षण के लिए अपरिहार्य आधार हैं जिनका प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है।

कैसी हो प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल?

नीति संबंधी दस्तावेज़ों में इस बात पर बल दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बाल-केंद्रित तथा क्रिया प्रधान हो। इस स्तर पर औपचारिक शिक्षण विधियों

के प्रयोग तथा पढ़ने-लिखने और गणित शिक्षण के विरुद्ध चेतावनी भी दी गई है। बच्चों में सीखने और जानने की जन्मजात क्षमता होती है। इस क्षमता के पूर्ण उपयोग को ही बाल विकास कहा जाता है। बच्चों के अंदर सीखने की स्वाभाविक इच्छा होती है। इस इच्छा को ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आधार बनाना चाहिए। बच्चे जो कुछ स्वयं करके सीखते हैं वह ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। वयस्क लोगों, माता-पिता एवं शिक्षकों को बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण और सामग्री तैयार करनी चाहिए और बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अपने आस-पास के पर्यावरण की जानकारी बच्चे अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। दैनिक जीवन की क्रियाओं के अभ्यास को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए।

प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल में अभिभावकों की भूमिका

एक बच्चे के जीवन में उसके अभिभावक एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन पर बच्चे की वृद्धि, विकास एवं सिखाने का उत्तरदायित्व होता है। माता-पिता बच्चे के प्रथम शिक्षक हैं और बच्चे के विकास में उनका दायित्व बराबर बना रहता है अत: शिक्षिका तथा माता-पिता को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके।

अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या करें शिक्षक ?

पूर्व प्राथमिक शिक्षा आयोजित करने वाले व्यक्ति को चाहे वह कोई शिक्षक हो या शिक्षिका या कार्यक्रम समन्वयक हो उसे माता-पिता के साथ बराबर संपर्क बनाए रखना चाहिए। वर्ष में हर तीन माह बाद अभिभावकों के साथ शिक्षक/शिक्षिकाओं की बैठक होनी चाहिए। अभिभावकों की बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए —

- अभिभावकों को बताएँ कि 'पूर्व प्राथमिक शिक्षा' में बच्चे अभी पढ़ने-लिखने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार नहीं हैं। उन्हें खेल द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि 'खेल-खेल में' बच्चों की अँगुलियाँ लिखने के लिए तैयार हो जाती हैं। बच्चे अच्छी व सही भाषा बोलना सीखते हैं। बच्चों की सोचने-समझने की कुशलता बढ़ती है। बच्चे आगे की कक्षा में जाने के लिए तैयार होते हैं।
- उनसे चर्चा करें कि वे किस तरह से आँगनवाड़ी में सहयोग दे सकते हैं। प्रतिदिन एक माँ आँगनवाड़ी में आकर मदद करें, बच्चों को सही समय पर आँगनवाड़ी भेजें, बाकी माता-पिता को आँगनवाड़ी के महत्त्व के बारे में बताएँ और उन्हें अपने बच्चों को आँगनवाड़ी भेजने के लिए प्रोत्साहित करें।
- बताएँ कि माता-पिता अपने बच्चे के विकास के लिए घर पर क्या-क्या कर सकते हैं।
- बताएँ कि 3 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के लिए भी उनको बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे — बच्चों से बातचीत करना, खिलौने बनाना व बच्चों के साथ उनसे खेलना, प्यार का व्यवहार करना, बाहर घुमाने ले जाना व पास-पड़ोस की जानकारी देना इत्यादि।
- बच्चों के साथ कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण समय गुजारें।

- बच्चे के सर्वांगीण विकास की ज़िम्मेदारी समान रूप से विद्यालय एवं माता-पिता की है। अत: विद्यालयों में अभिभावकों की प्रतिभागिता कार्यक्रमों के आयोजन एवं संचालन में सुनिश्चित की जानी चाहिए। माता-पिता से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे —
  - अपने बच्चे की शैक्षिणक एवं समग्र विकास के लिए नियमित रूप से स्कूल के संपर्क में रहें।
  - पता या टेलीफ़ोन नंबर बदलने पर तुरंत स्कूल को सूचित करें।
  - बच्चे से संबंधित कोई समस्या होने पर इसकी चर्चा कक्षा-अध्यापिका एवं मुख्याध्यापिका से करें।
  - बच्चों को नियमित रूप से एवं समय पर स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि बच्चा नियमित एवं समय पर स्कूल आए।
  - बच्चों को साफ़ कपड़े एवं आरामदायक जूते / चप्पल पहनाकर विद्यालय में भेजें।
  - बच्चों को टिफ़िन में घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन एवं पीने के लिए स्वच्छ पानी दें।
  - स्कूल के संचालन में स्कूल का सहयोग करें।
- वहीं दूसरी तरफ़ यदि अभिभावक बच्चों के लिए आयोजित क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं या कविताएँ, कहानियाँ, बाल-गीत, कठपुतलियाँ तैयार करने, खाने की पौष्टिक चीज़ें बनाने की सरल विधि बताने इत्यादि में सक्षम हैं और स्कूल में सहयोग करना चाहते हैं तो समय-समय पर उन्हें स्कूल में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा देखभाल के सबलीकरण एवं शिक्षकों के सहयोग के लिए क्या करें अभिभावक?

प्रारंभिक बाल शिक्षा केंद्र में जो कुछ सिखाया जाता है उसके सबलीकरण के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावक —

बच्चों को प्रोत्साहित करें

- समय पर सोने व उठने के लिए।
- टॉयलेट का सही प्रयोग करने के लिए एवं शौच जाने के बाद हाथ ठीक ढंग से धोने के लिए।
- घर के काम-काज में सहायता करने के लिए/हाथ बँटाने के लिए।
- परिवार एवं पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ मेल-जोल रखने एवं खेलने के लिए।
- अपने खिलौनों, वस्तुओं एवं भोजन को दूसरों के साथ साझा करने के लिए।

अपने बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाएँ

- अपने मित्रों एवं अपने रिश्तेदारों के यहाँ।
- किसी पार्क, बाज़ार, खेत, तालाब, नदी किनारे मैदान, चिड़ियाघर इत्यादि में। उनसे इन स्थानों एवं व्यक्तियों के विषय में बात करें।

बच्चों को अवसर प्रदान करें

अपने कार्य स्वयं करने के लिए जैसे — दाँतों को साफ़ करना, अपने कपड़े स्वयं पहनना, जूतों के फ़ीते बाँधना, अपनी चीज़ें सही स्थान पर रखना।

- खेलने, कूदने, दौड़ने, रस्सी कूदने, नाचने आदि के लिए। उन्हें गेंद को फेंकने पकड़ने का खेल खेलने दें एवं उन्हें फिसलन पट्टी, झूलों पर बैठने एवं सवारी इत्यादि करने दें।

- ड्राइंग करने, रंग भरने, मिट्टी से चीज़ें बनाने, काटने-चिपकाने, मोतियों में धागा पिरोने एवं अन्य ऐसे कार्य करने के लिए जहाँ वे अपने हाथों का इस्तेमाल करें। ऐसी क्रियाएँ जहाँ वे अपनी ज्ञानेन्द्रियों जैसे — आँख, नाक, कान, जिह्वा व त्वचा की मदद से देखने, सुनने, सूँघने, चखने एवं महसूस करने की क्षमता का विकास कर सकें।

बच्चों को सम्मिलित करें/सहभागी बनाएँ

- कहानी सुनने-सुनाने में
- रूप धारण (रोल प्ले/भूमिका निर्वाह)
- नाटकीकरण।
- बच्चों को बातचीत में सम्मिलित करें एवं उनकी बात सुनें।
- बच्चों को संगीत की लय अथवा ताल पर, या आपके स्वयं के गाए गीत, संगीत पर अथवा तालियों की ध्वनि पर नृत्य करने/थिरकने का अवसर प्रदान करें। इससे न केवल सृजनात्मकता का विकास होगा बल्कि उनका शरीर भी सुदृढ़ होगा।

जब बच्चों से बात करें तब

- अपने बच्चों को अपनी बात कहने या अपनी मनचाही वस्तु पाने के लिए हाव-भाव एवं इशारों के स्थान पर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- बच्चों को खिलौनों, अन्य बच्चों एवं जानवरों की छोटी-छोटी रोचक कहानियाँ सुनाएँ, साथ में चित्र भी दिखाएँ। बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उनका उत्तर देकर समाधान करें।
- छोटे व सरल गीत गाएँ व बच्चों को उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चे के साथ नित्य बात करें और उससे उसकी आवश्यकताओं, खिलौनों, पसंद-नापसंद के विषय में अथवा सुनाई जाने वाली कहानी से संबंधित प्रश्न करें।
- बच्चे से बात करते समय सरल एवं पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करें। साथ ही उचित हाव-भाव के साथ धीरे-धीरे एवं स्पष्टता से बोलें। बच्चों के सामने अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग न करें।
- जब आपका बच्चा आपसे बात कर रहा हो या कुछ बता रहा हो तो उसे धैर्यपूर्वक सुनें। यदि आपका बच्चा किसी शब्द का ठीक उच्चारण न कर पा रहा हो तो सही उच्चारण करने में उसकी सहायता करें। यदि वह सही उच्चारण न कर पाए तो बच्चे पर ज़ोर या दबाव न डालें। उसे वैसे ही उच्चारण करने दें जैसा वह कर पा रहा हो, किंतु जब आप शब्द का प्रयोग करें तो सही उच्चारण ही करें।
- सरल कहानी की किताबों से कहानियाँ पढ़कर बच्चों को सुनाएँ। कहानी सुनाते समय संबंधित चित्रों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करें। वे कहानियाँ जिनमें लय एवं आवृत्ति (दोहराना) होती है, बच्चों के लिए रुचिकर होती हैं।
- बच्चों से बात करें, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें व उन्हें स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी सोच एवं विचारों को महत्त्व दें और परिवार के निर्णय लेने में भी उनको सम्मिलित करें।

ऊपर दी गयी सभी क्रियाएँ बच्चों में बोलने-सुनने के कौशल एवं शब्द भंडार के विकास में और बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करने में सहायक होंगी।

परिवेश से सीखने के लिए

- बच्चों को विभिन्न वस्तुओं; जैसे — रंगीन मोती, सीपियाँ, विभिन्न रूप एवं आकार के पत्थर दें और उन्हें इनके साथ खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चे जब इस प्रकार की वस्तुओं के साथ खेलें तो उन पर ध्यान रखें जिससे किसी दुर्घटना की संभावना न हो।
- बच्चों को फल, सब्ज़ी एवं अन्य खाने की वस्तुओं को देखने, स्वाद और महक को जानने के अवसर दें। उन्हें मीठे, खट्टे, कड़वे स्वादों का अनुभव करने दें।
- अपने बच्चों को फूल व पंखुड़ी, पेड़ की छाल, छोटे कंकड़-पत्थर, कंचे, कपड़े के टुकड़े आदि दें और उन्हें छूकर 'मुलायम', 'खुरदरा', 'कठोर', 'सख्त', 'चिकना' जैसे शब्दों को सीखने दें।
- बच्चों को विभिन्न जानवरों; जैसे — कुत्ता, बिल्ली, गाय, चिड़िया आदि की आवाज़ें निकालने दें और उनकी चाल की नकल करने दें।

बच्चों के सहायक बनें

- खेलने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएँ।
- उपयुक्त एवं पर्याप्त सामाग्री एवं साधन उपलब्ध कराएँ।
- बच्चों की रुचियों एवं क्षमताओं की पहचान कर उनके सही विकास में सहायक हों।
- आस-पास के व्यक्तियों एवं परिवेश के साथ परस्पर संपर्क एवं सहभागिता के अवसर दें।

निष्कर्ष

बच्चे के सर्वांगीण विकास में माता-पिता और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा सुविधाओं की जानकारी शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को ही होनी चाहिए। व्यापक स्तर पर माता-पिता और परिजनों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा सुविधाओं में सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा काफ़ी विस्तार भी हुआ है। अतः जो साधन उपलब्ध हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए इनकी जानकारी अभिभावकों को भी होना ज़रूरी है। जब बच्चा अपने घर की सुरक्षा छोड़कर केंद्र में आता है तो उसे वैसी ही सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए तभी वह केंद्र में आसानी से घुल-मिल पाएगा, खुश रहेगा और उसका उचित विकास होगा। माता-पिता को चाहिए कि वे आगे बढ़कर अपने बच्चों की शिक्षा या सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम का नियोजन या क्रियान्वयन करें और शिक्षकों की सहायता करें।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2000. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

कौल, विनीता. 1996. *प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम*. विद्यालय पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

मुरलीधरन, राजलक्ष्मी और अस्थाना, शोबिता. 1991. *शिशुओं के लिए प्रेरक गतिविधियाँ*. विद्यालय पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

भारत सरकार. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

——— 2011. *निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम – 2009*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

——— 2013. *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति*. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

यादव, पद्मा. 2015. *एग्ज़ेंप्लर गाइडलाइंस फ़ॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) करीकुलम*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.